# कार्यालय समन्वयक, आरपीईटी –2011

## प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर

डब्लू–6, रेजीडेन्सी रोड़, जोधपुर

| निविदा प्रपत्र संख्या | |
|---|---|

## मुद्रण कार्य एवं आपूर्ति

# RPET-2011

| | |
|---|---|
| निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम दिनांक व समय | 25 अप्रेल 2011, 7.00 P.M. तक |
| निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय | 26 अप्रेल 2011, 6.30 P.M. तक |
| निविदा खोलने की दिनांक व समय | 26 अप्रेल 2011, 7.00 P.M. |

मूल्य : 100/– रूपये

# कार्यालय समन्वयक, आरपीईटी –2011

प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर

डब्लू–6, रेजीडेन्सी रोड़, जोधपुर

| Tender Form No. | | मुद्रण कार्य एवं आपूर्ति |
|---|---|---|
| सन्दर्भ | क्रमांक : निविदा/लेखा/आरपीईटी–11/ दिनांक : | |

| विवरण | डीडी/ चालान संख्या | दिनांक | राशि |
|---|---|---|---|
| निविदा शुल्क | | | रू. 100 /– |
| धरोहर राशि | | | रू. 7000/– |

नाम : ............................................................ पेन न. ............................................................

फर्म का नाम : ............................................................ वैट/टीन न. ............................................

पता : ............................................................ सेवाकर पंजीकरण ...................................

............................................................

फोन न : ............................................................

मो. न : ............................................................

- ❖ हम समन्वयक, आरपीईटी–2011, द्वारा जारी निविदा सूचना संख्या निविदा/ लेखा/ आरपीईटी–11/ दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न प्रपत्र 'अ' में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
- ❖ प्रपत्र 'अ' में दी गई दरें अनुमोदन की तिथी से 1 वर्ष तक मान्य है तथा सामग्री विभिन्न चरणों विभाग की आवश्यकता अनुसार आपूर्ति करवाई जा सकती है।
- ❖ निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक से 60 दिवस तक रहेगी। इसका पारस्परिक सहमति से बढ़ाया जा सकता है।
- ❖ निविदा फार्म के साथ बिक्री कर पंजीकरण प्रमाण पत्र व वर्ष 2010–11 का वेट चूकता प्रमाण पत्र संलग्न है। विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र संलग्न है।
- ❖ आदेश के अनुसार सामान की आपूर्ति, आदेश जारी होने की तिथि से 7 दिवस अथवा कार्य आदेश में अंकित अवधि जो भी कम हो, में की जावेगी। आदेश जोधपुर स्थित पते पर दिया जावेगा।
- ❖ **निविदा फार्म के साथ संलग्न प्रपत्र 'अ' में दर्शाई गई दरें सभी कर, शुल्क एवं अन्य व्यय सहित अंकित की जानी है अलग से कर की दरें अंकित करने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी। दरें शब्दों एवं अंकों में दी जावेगी।**

दिनांक : निविदादाता के
**हस्ताक्षर**

# कार्यालय समन्वयक, आरपीईटी –2011

प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर
डब्लू–6, रेजीडेन्सी रोड़, जोधपुर

## मुद्रण कार्य एवं आपूर्ति (सामग्री सहित)

## वित्तिय प्रस्ताव

प्रपत्र 'अ'

| क्र.स. | सामग्री का नाम | दर प्रति नग (रूपये में) (समस्त व्यय एवं कर सहित) |
|---|---|---|
| 1. | Designing, Printing (single colour), Binding & supply of Booklet (Size A4) 56 gsm paper | |
| | (i) 16 Page Booklet printing | |
| | (ii) Additional rate for each 4 Page set | |
| 2. | Designing and Printing of single colour in A4 and Legal size | |
| 3. | Designing, Printing (Single side & Single colour) on A4 Size Paper (with 100 gsm paper) | |
| 4. | Designing, Printing (Double side & Single colour) on A4 Size Paper (with 100 gsm paper) | |

निविदा में उल्लेखित सामग्री जिनकी वित्तिय दर प्रस्तावित की गई हैं का नमूना मैंने देख व समझ लिया है और नमूने के अनुसार ही उच्च क्वालिटी का कागज/ सामग्री आपूर्ति करने हेतु वचनबद्ध हूँ। नमूना स्पेसीफिकेशन के आधार पर कार्यालय द्वारा मांग की गई किसी भी ब्रांड की सामग्री आपूर्ति करने हेतु वचनबद्ध रहूंगा।

**निविदादाता के हस्ताक्षर मय**

**सील**

# मुद्रण कार्य एवं आपूर्ति

## निविदा शर्ते :–

1 निविदाओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशो के अनुसार उचित रूप से मोहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिये।

2 **वास्तविक डीलरों (Bonafide dealers) द्वारा निविदाएं** :– निविदाएं मालों के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। अतः ये एस.आर. प्रारूप 11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।

3 (i) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नही किया जायेगा।

(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नही किया जायेगा, जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नही हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नही कर देतें। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

4 **बिक्री कर पंजीयन एवं चूकती प्रमाण पत्र** :– कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहां उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर/वेट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नही है तो वह निविदा नही देगा। बिक्री कर/वेट पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर/वेट चूकती प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा जिसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जायेगा।

5 निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकण से भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नही किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

6 दरें शब्दों एवं अंको दोनों में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटि एवं /या उपरीलेखन नही होना चाहिये। यदि कोई शुद्धिया करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिये। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रिय बिक्री करों की राशि को पृथक से दिखाना चाहिये।

7 **मूल्य अधिमान** :– मूल्य अधिमान/अधिमान, राजस्थान के उधोगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों को राजस्थान के बाहर के उधोगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर भण्डार क्रय (राजस्थान के उधोगों को अधिमान) नियम, 1995 के अनुसार दिया जाएगा।

8 **विधिमान्यता** :– निविदायें, उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

9 अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तो, विनिर्देशो, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे शर्तो, विनिर्देशो, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

10 ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिये नहीं सौंपेगा या सबलेट पर नहीं देगा ।

11 **विर्निदेश** :–(i) प्रदाय की गयी सभी वस्तुए निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के शर्तो के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गई हो, वहां उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशो के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए। जहॉ कोई मानकीकृत अनुमोदित नमूने न हों, वहॉ अत्युतम गुणवता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस संबंध में कि क्या प्रदाय की वस्तुएं विनिर्देशो के अनुरूप है, तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार है, किया गया निर्णय अन्तिम एवं निविदादाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

(ii) **वारंटी/गारंटी खण्ड**:– निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/सामान/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगर के दिनांक से 3 माहों की अवधि तक यथा विर्निदिष्ट विवरण एवं गुणवता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालो/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं/या उन्हें अनुमानित कर दिया है, यदि 3 माहों की उक्त अवधि में, उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नही पाया गया या वे समाप्त हो गए है (तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा) तो क्रेता उक्त मालों/सामानो/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नही पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/सामान/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाए तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्ते के

उल्लघंन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगी।

12 असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को इकट्ठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है, उनमें परीक्षण, जांच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान, टूट–फूट या हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नहीं लिए जाएंगे उन्हें समपहृत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावें को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

13 प्रदाय जब भी प्राप्त किया जाएगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे विनिर्देशो या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जहां आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहां पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशो के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

14 **रद्द करना** :–(i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हे रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वंय की लागत पर बदला जाएगा।

(ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप में बदलना साध्य (Feasible) नही समझा जाएं, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौति करेगा। इस प्रकार की गई कटौति अन्तिम होगी।

15 रद्द की गई वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझें, बेचने का अधिकार होगा।

16 निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुन्द्र, रेल, सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल तक माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी उच्छी दशा में प्राप्त हो सकें। किसी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट–फूट या रिसाव या किसी कमी के होने के मामले में निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नही होगी।

17 प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (Repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

18 निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

19 **सुपुर्दगी अवधि** :– निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाएं, विभाग द्वारा आदेश करने की तारीख से 7 दिवस कार्यादेश में अंकित अवधि के भीतर सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगें।

(ii) मात्रा की सीमा – आदेश को फिर से देना :– यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित प्रदाय करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (Repeat Orders) भी निविदा में दी गयी शर्तो पर दिए जा सकेंगे, परन्तु शर्त यह है कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप से खरीदी गई मात्रा की 50 प्रतिशत तक के प्रदाय के लिए ही होंगे तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अन्तिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नही होगी। यदि निविदादाता, ऐसा प्रदाय करने में असमर्थ रहता है, तो क्रेता अधिकारी शेष सामान के प्रदाय की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी लागत व्यय की जाएगी उसकी निविदादाता से वसूली की जाएगी।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदत वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

(iv) अनुबन्ध की अवधि अनुबन्ध तिथि से एक वर्ष के लिए होगी आवश्यकता पडने पर यह अवधि आपसी सहमति से 6 माह के लिए बढाई जा सकती है।

20 **बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी)**:– (क) निविदा के साथ निर्धारित बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसकें बिना निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा। यह राशि **समन्वयक आरपीईटी 2011, जोधपुर** के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में भी जमा करायी जानी चाहिए :–

(i) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।

(ख) **बयाना राशि का प्रतिदाय** :– असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यशाशक्य शीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग) **बयाना राशि से आंशिक छूट** :– उन फर्मो को जो निदेशक, उधोग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं, उन मदो के संबंध में, जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई है, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र या उसकी फोटो स्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर, (विलोपित) निविदाएं आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर बायान राशि जमा करानी होगी।

(घ) अनुमोदन की प्रतिक्षा करने वाली या रद्द की गई निविदाओं के संबंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग / कार्यालय के पास जमा बयाना राशि / प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिए बयाना राशि / प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि निविओं को आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

21 **बयाना राशि का समपहरण** :– बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहत कर लिया जायेगा :–

(1) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उपान्तरण करता है।

(2) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।

(3) जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।

(4) जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।

22 (i) **करार एवं प्रतिभूति निक्षेप** :– सफल निविदादाता को अनुमोदन आदेश के प्राप्त होने से 3 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएं स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 3 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।

(ii) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जाएगा।

(iv) प्रतिभूति राशि के रूप  निम्न प्रकार होंगे।

(v) एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अन्तिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर (Staggered)किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्ध कोई दे बकाया (Outstanding Dues) नहीं है, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

23 (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से फर्म ऑर्डर के प्राप्त होने से अवधि के भीतर सप्लाई करेगा ।

(1) यदि प्रदायकर्त्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है, किन्तु वह उसके लिए निवेदन बांधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(2) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

24 **वसूलियॉ** :– परिसमाप्ति नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द किए गए मलों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता संतोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है, तो परिसमाप्ति नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि (dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पीडीआर एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

25 मूल निविदा फार्म के साथ संलग्न प्रपत्र 'अ' में ही निविदादाता अपनी दरें दर्शाऐं। विभागीय प्रपत्र के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज पर दी गई दरें मान्य नही होगी।

26 निविदा मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जायेगी जिस पर लेखन सामग्री आपूर्ति कार्य के लिए निविदा अंकित होना चाहिए।

27 फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलो का भुगतान विभाग एक माह में करने का प्रयास करेगा। किन्तु यदि किसी विशेष परिस्थिति में एक माह से अधिक समय लगता है तो उस दशा में फर्म को भुगतान योग्य राशि पर किसी प्रकार का ब्याज या अन्य प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा।

28 सफल निविदादाता को निविदा राशि के 5 प्रतिशत राशि के समतुल्य सुरक्षित राशि राजकोष में जमा करानी होगी तथा नियमों के अनुसार करार पत्र रू0 500 / – के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।

29 निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नही किया जायेगा। प्रत्येक कार्यादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने, विभाग में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान कार्यवाही की जायेगी।

30 निविदादाता निविदा कार्य तथा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तो को सम्पूर्ण रूप में स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।

31 निविदा फार्म में किसी प्रकार की कांट–छांट व ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि कोई संशोधन किया जावे तो पुनः स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाकर इस पर अपने लघु हस्ताक्षर करने होंगे। कांट–छांट या ओवर राईटिंग होने पर निविदा रद्द समझी जायेगी।

32 किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार समन्वयक आरपीईटी 2011 को होगा।

33 सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सामग्री प्रदाय करने में असफल रहने पर या आपूर्ति/कार्य सन्तोषजनक नही करने पर समन्वयक आरपीईटी 2011 को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे–खर्चे पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकेंगे। इसके साथ ही प्रतिभूति राशि भी जब्त की जा सकती है।

34 आपूर्ति जब भी प्राप्त की जायेगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिये किया जायेगा कि वे स्पेसीफिकेशन्स या अनुमोदित नमुनों के अनुरूप है, उन्हें स्वीकार किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता कार्यालय में निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व देखे गये नमूने अनुसार सामग्री आपूर्ति करने हेतु बाध्य होगा। अतः यह सुनिश्चित करें कि आप द्वारा निवेदित सामग्री का ब्राण्ड नमूनों के अनुरूप या उच्चतम श्रेणी का हो।

35 निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जावेगी वह सप्लाई आदेश की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर सामान की सप्लाई करेगा।

36 यदि क्रेता अधिकारी किसी निविदत्त वस्तुओ की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने लिये अधिकृत नही होगा।

37 असफल निविदादाताओं की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटा दी जायेगी।

38 सफल निविदादाता को आदेश प्राप्त होने से सात दिवस की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिये निविदाऐ स्वीकार की गई है, उनके मुल्य के पॉच प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करनी होगी । निविदा के समय जमा कराई गई बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम नहीं होगी । प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा । प्रतिभूति नकद अथवा बैंक ड्राफट के रूप में जमा कराई जायेगा।

39 केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होगे।

40 **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण**– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलो में समपहत किया जायेगा :–

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो ।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्ति–युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

41 **परिनिर्धारित क्षति**– परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यो के लिए की जाएगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है–

(1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5%

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.5%

(घ) विहित अवधि की तीन–चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10%

(2) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा ।

(3) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी ।

42 क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नही है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओ के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, इन सबके लिए या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

43 निविदादाता द्वारा दरें निर्धारित प्रपत्र में ही अंकित की जावे। अन्य कोई प्रपत्र स्वीकार्य नहीं होगा। वाहन की दरें अनुबंध अवधि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। इस अवधि में किसी भी कारण दरों में वृद्धि स्वीकार नहीं की जायेगी।

44 यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation),आशय या संविदा की शर्तो के उल्लघंन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारो द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिये एक मात्र मध्यस्थ के रूप

में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा । यह उप अधिकारी इस संविदा से सम्बद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

45 समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा **जोधपुर** में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।

46 निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुए अनुमोदित नहीं की जायेगी उन्हे रद्द किया जायेगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जायेगा।

47 सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम खण्ड प्रथम (भाग द्वितीय) नियम 68 एस आर प्रारूप 16 में उल्लेखित समस्त शर्तों की पालना पूर्व रूपेण की जावेगी।

48 कार्यालय की अनुमानित आवश्यकता व आपूर्ति अवधि परिस्थिति/आकस्मिकता के कारण परिवर्तनशील रहेगी। आवश्यकता होने पर निविदादाता को तत्काल सामग्री व सौंपा गया कार्य पूर्ण कर देना होगा।

49 उपर्युक्त शर्तो के अतिरिक्त अन्य शर्ते निविदा सूचना एवं सामान्य वितीय एवं लेखा नियम के प्रावधानानुसार लागू होगी।

50 आपसी सहमति से अनुबन्ध की समयावधि 6 माह के लिए बढाई जा सकती है।

**निविदादाता के हस्ताक्षर**